

रिपोर्ट नम्बर 10/2025

फर्द अहकाम

पञ्जवली बनाम कानपुर

न्यायालय

संख्या 88/24 अ/क

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक विवरण
		<p>शाहील कमरुद्दीन खसरा तम्बरात के शाहील कुतूब हुए करते - काशर के मध्यमज, उनपरको के विस्तार में अपने - अपने हिस्से की बूझ पर मुहं चने हेतु मुक्त राशि का प्रावधान करत हुए, वारी मीरुत एवं कानपुर के ताला पर प्राथमिक हिस्से किया जाता है। विस्तार निर्णय एवं हिस्से पुण्ड से लिखवाया गया। तहसील कानपुर शाही के कुरैनात हेतु तहसीर जारी होवास्त कुरैनात रिपोर्ट दिनांक 03/10/2025 को पेश हो।</p>	
10/03/2025		<p>पञ्जवली प्रस्तुत। व.फ. उप। तहसील कानपुर कानपुर शाही के कुः कुरैनात हेतु तहसीर जारी हो। ताला कुरैनात हेतु दिनांक 10/10/25 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर आनेर म. जयपुर</p> <p>तहसीर जारी 12/11 19.09.2025</p>
10/10/2025		<p>पञ्जवली प्रस्तुत। व.फ. उप. तहसील कानपुर कानपुर शाही से कुरैनात रिपोर्ट प्राप्त। पञ्जवली वास्ते वस्तु (कार रिपोर्ट हेतु दिनांक 13/10/2025 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर आनेर म. जयपुर</p> <p>कुरैनात रिपोर्ट प्राप्त 10.10.2025</p>
13/10/2025		<p>पञ्जवली प्रस्तुत। व.फ. उप. कानपुर की वहस सुनी गई। वारी अधिवक्ता ने कुरैनात पर करि आपत्त नही की तथा प्रीतवारी संख्या 6, 7, 8, 10, 12, 14 के अधिवक्ता वस्तु के बाद प्रोपत्र 151 मीमी पेश कर जोध किम्ब की कुरैनात की नकल लेने का सम्प किया जाये।</p>	<p>सहायक कलक्टर आनेर म. जयपुर</p>



फर्द अहकाम

नाम न्यायालय राजस्थान जयपुर कानून काम कलकटर
 केस संख्या 80/2024 81

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
		<p>पत्रवली का मवलोकन किया गया यूनि न्यायालय में कुरियात रिपोर्ट दिनांक 10/10/2025 को प्राप्त हो चुके थे तथा उपपत्र के कलस हेतु समय दिया गया था परन्तु प्रतिवादी ने कोई नकल प्राप्त नहीं की है जिससे वादित होता है कि प्रतिवादी 6, 7, 8, 10, 12, 14 वा 5 को अधिक समय तक लिखित रखना चाहते हैं इसलिए प्र.पत्र 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रतिवादी 3, 4 व 15 के क्षमता को बंध सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों एवं कुरियात के आधार पर वाद अतिरिक्त जिद्दी किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्ली पृष्ठांक से लिखवाया गया। पत्रवली फौजदारी शिफार होकर राजिक दफ्तर हो।</p>	

(Signature)
 सहायक कलक्टर
 जयपुर न. जयपुर

न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.



नियमित वाद संख्या - 80/2025

वाद प्रस्तुति दिनांक - 19.09.2024

भगवती देवी पत्नी गोपीराम जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।

-वादीया

बनाम

1. कमला देवी पुत्री गणपतराम
2. गोपीराम पुत्र गणपतराम
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. रोशन पुत्र तोफानराम जति मीणा निवासी ग्राम माचडा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
4. महिपाल पुत्र तोफानराम जति मीणा निवासी ग्राम माचडा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
5. दानाराम पुत्र सांवला जाति मीणा निवासी ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
6. बाबूलाल पुत्र गणपतराम जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
7. भगवान सहाय पुत्र गणपतराम जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
8. मुकेश कुमार पुत्र मदन लाल जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
9. मनीषा पुत्री सरदारमल जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
10. राकेश कुमार पुत्र मदन लाल जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
11. राहुल कुमार पुत्र सरदारमल जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
12. लालचन्द पुत्र मदन लाल जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
13. शैतान पुत्र सांवला जाति मीणा निवासी ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
14. संतोष देवी पत्नी मदन लाल जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
15. जगदीश दत्तक पुत्र सांवताराम जाति मीणा निवासी ग्राम माचडा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
16. सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
17. सावताराम जाति मीणा निवासी ग्राम माचडा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

-प्रतिवादीगण

दिनांक 15.10.2025

भगवती

बनाम

कमला

दावा

प्रतिवादी की तारीख

15/10/25



प्रकरण संख्या - 80/2024
वउनवानी - भगवती बनाम कमला वगैरे
निर्णय दिनांक :- 15.10.2025

हस्तगत वाद पत्र

ग्राम राजावास, पटवार क्षेत्र नांगल सिरस, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में स्थित आराजी खाता संख्या नया 246 पुराना 240 के खसरा नम्बर 620 रकबा 2.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 622 रकबा 0.8700 हैक्टेयर खसरा नम्बर 624 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.4300 हैक्टेयर में वादीया का हिस्सा 1/4 निहित हैं, तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज व अंकित चला आ रहा है। वाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित आराजी विवादग्रस्त है जिसे वाद पत्र के अन्य मदों में भी भूमि विवादग्रस्त से सम्बोधित किया जावेगा। वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित अनुसार विवादग्रस्त भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 की संयुक्त कब्जे की सहकाशकारी की अविभाजित भूमि है परन्तु रिकार्डेड खातेदारों के मध्य विवादग्रस्त आराजी का आज दिनांक तक कब्जे काशत के आधार पर तकासमा विधिवत नहीं हुआ है। चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि वादीया व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एवं अंकित चली आ रही है इसलिये वादीया ने समय-समय पर प्रतिवादीगण को वाद अधीन कृषि भूमियों का कब्जे काशत के आधार विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा, तो पूर्व में तो प्रतिवादीगण विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरते रहे परन्तु प्रतिवादीगण की नियत में फितुर आ गया और वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण भूखण्ड काटकर निर्माण कार्य करने हेतु उतारू हो गये। इसलिए वाद की आराजी का विभाजन किया जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 9 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध दिनांक 18.09.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नम्बर 2 गोपीराम पुत्र गणपतराम की ओर से जवाब दावा में अंकित किया है कि भूमि खसरा नम्बर 620 रकबा 2.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 622 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 624 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 3.4300 हैक्टेयर का ग्राम राजावास, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में स्थित होना एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वर्णित हिस्सों द्वारा सही होना स्वीकार है। वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित तथ्य भूमि का ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में स्थित होना मात्र स्वीकार है। वास्तविक स्थिति यह है कि भूमि विवादग्रस्त मौके पर हाल राजस्व रिकार्ड के अनुसार खातेदार काशतकार अपने अपने हिस्से पर मौखिक विभाजन कर काबिज काशत है। तथा मौके पर सभी खातेदारान के मध्य मौखिक विभाजन हो रखा है तथा सभी सहखातेदार मौखिक विभाजन में प्राप्त अपने अपने हिस्से की भूमि पर सअधिकार काबिज काशत है तथा सअधिकार काबिज काशत है तथा अलग अलग खेती कर अपनी अपनी उपज प्राप्त कर अपने अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं। भूमि विवादग्रस्त का मौके पर सभी सहखातेदारान के मध्य मौखिक विभाजन हो रखा है तथा सभी खातेदार मौखिक विभाजन में प्राप्त अपने अपने हिस्से में आई भूमि पर सअधिकार काबिज काशत है तथा अलग अलग खेती कर अपनी अपनी उपज प्राप्त कर अपने

13/10/25
अलग खेती कर अपनी अपनी उपज प्राप्त कर अपने अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं।
समय-समय पर



अपने परिवार का जीवन यापन करते आ रहे हैं। मिन प्रतिवादी / उत्तरदाता को मौखिक विभाजन में प्राप्त भूमि खसरा नम्बर 620, 622, 623, 624, 626 की भूमि पर संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है जिसको जवाब दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है नजरी नक्शा जवाब दावे का अंग माना जावे तथा शेष भूमि अन्य सहखातेदारान के कब्जे काशत में है। दिनांक 09.09.2014 को वादीगण को किसी भी ने प्रतिवादीगण से किसी भी प्रकार से कतई कोई सम्पर्क नहीं किया, तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को किसी भी प्रकार की कतई कोई धमकी नहीं दी गई, ना ही कोई वाद विवाद हुआ, वादीगण की ओर से बिना वाद कारण के ही वाद पेश किया है जो वाद कारण के अभाव में ही खारिज किये जाने योग्य है। शेष तथ्य अतिरिक्त कथन में और निवेदन किये जा रहे हैं। वाद पत्र के मद नम्बर 6 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार वर्णित किया है अस्वीकार है, भूमि विवादग्रस्त का मौके पर सभी सहखातेदारान के मध्य मौखिक विभाजन हो रखा है तथा मिन प्रतिवादी नम्बर 2 उत्तरदाता को मौखिक विभाजन में प्राप्त भूमि खसरा नम्बर 620, 622, 623, 624, 626 भूमि पर काबिज काशत है जिसको जवाब दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है नजरी नक्शा जवाब दावे का अंग माना जावे तथा शेष भूमि अन्य सहखातेदारान के कब्जे काशत में है।

प्रतिवादी नम्बर 2 गोपीराम की ओर से काउन्टरक्लेम प्रस्तुत कर अंकित किया कि भूमि वाके ग्राम राजावास, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 620 रकबा 2.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 622 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 623 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 624 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 626 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, में स्थित है। काउन्टरक्लेम के मद नम्बर 01 में वर्णित भूमि को काउन्टरक्लेम के आगे के पैराज में भूमि विवादग्रस्त के नाम से सम्बोधित किया गया है। भूमि वाके ग्राम राजावास, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 620 रकबा 2.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 622 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 624 रकबा 0.0800 हैक्टेयर भूमि जिसमें मिन प्रतिवादी संख्या 2/काउन्टरक्लेमकर्ता का 1/24 हिस्सा व खसरा नम्बर 623 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, मिन प्रतिवादी संख्या 2/ काउन्टरक्लेमकर्ता का 2/3 हिस्सा, व खसरा नम्बर 626 रकबा 0.5400 हैक्टेयर में मिन प्रतिवादी संख्या 2/ काउन्टरक्लेमकर्ता का 193/672 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार से मिन प्रतिवादी संख्या 2/ काउन्टरक्लेमकर्ता की कुल भूमि 0.7647 हैक्टेयर भूमि हिस्से में आती है जिसे काउन्टरक्लेम के साथ संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है। काउन्टरक्लेम के मद नम्बर 01 में वर्णित भूमिविवादग्रस्त में मिन प्रतिवादी / काउन्टरक्लेमकर्ता रिकार्ड सहखातेदार काशतकार है तथा सभी समस्त सहखातेदारान ने आपसी सहमति से मौखिक विभाजन कर रखा है तथा मौखिक विभाजन के अनुसार ही समस्त सहखातेदारान काबिज भूमि है तथा मौखिक विभाजन में अपने हिस्से में आई हुई भूमि पर संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है तथा मौके पर काबिज होकर पक्की बाउन्ड्री कर कृषि करता आ रहा है, मिन प्रतिवादी

35/11/25
 सहायक कुलकर्ता
 जयपुर



प्रकरण संख्या - 80/2024
बउनवानी - भगवती बनाम कमला वगैरे
निर्णय दिनांक :- 15.10.2025

अपनी खातेदारी की भूमि का मौके पर बाहमी विभाजन के अनुसार ही हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं तथा मौके पर उक्त विभाजन में प्राप्त भूमि पर अपना आवास बना रखा है तथा एक बोरिंग है जिससे सिचाई करता है तथा काउन्टरक्लेम कर्ता का एक विद्युत कनेक्शन भी लगा हुआ है इस प्रकार से काउन्टरक्लेम कर्ता संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शात भूमि पर सअधिकार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और उक्त नजरी नक्शा काउन्टरक्ले-का अंग माना जावे। वादीया द्वारा मिन प्रतिवादी को नाजायज रूप से हैरान व परेशान करने तथा मिन प्रतिवादी के विधिक अधिकारों से महरूम करने की बदनियति के कारण वादीया द्वारा गलत व अपूर्ण तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जिस कारण मिना प्रतिवादी को अपने विधिक अधिकारों की रक्षा हेतू तथा अपने खातेदारी की भूमि की रक्षा हेतू मान्य न्यायालय के समक्ष यह विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतू काउन्टरक्लेम प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई तथा वादी का वाद बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम राजावास, पटवार क्षेत्र नांगल सिरस, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 620 रकबा 2.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 622 रकबा 0.8700 हैक्टेयर खसरा नम्बर 624 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.4300 हैक्टेयर भूमि का कब्जे काश्त के मध्यनजर, उभयपक्षो को विभाजन में अपने अपने हिस्से की भूमि पर पहुंचने हेतू सुगम रास्ते का प्रावधान करते हुए, बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/4307 दिनांक 09.10.2025 के द्वारा कुर्रैजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। उभयपक्ष की कुर्रैजात पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने कुर्रैजात पर कोई आपत्ति नहीं की तथा प्रतिवादी संख्या 6,7,8,10,12,14 के अधिवक्ता बहस के बाद प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पेश कर जाहिर किया की कुर्रैजात की नकल लेने का समय दिया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया चूकि न्यायालय में कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 10.10.2025 को प्राप्त हो चुके थे तथा उभयपक्ष को बहस हेतू समय दिया गया था परन्तु प्रतिवादी ने कोई नकल प्राप्त नहीं की है जिससे जाहिर होता है कि प्रतिवादी संख्या 6,7,8,10,12,14 वाद को समय तक लम्बित रखना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 15 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों के आधार पर वाद तदनुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :-

सहायक कर्ता
बाहरी म. जयपुर



1. भगवती देवी पत्नी गोपीराम जाति मीणा हिस्सा संपूर्ण के हिस्से खसरा नंबर 620/2 रकबा 0.6075 हैक्टेयर, 622/2 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 624/2 रकबा 0.0700 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.8575 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. गोपीराम पुत्र गणपतराम जाति मीणा हिस्सा संपूर्ण के हिस्से खसरा नंबर 623/2 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, 626/2 रकबा 0.1979 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5479 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. कमला देवी पुत्री गणपतराम हि. 286/5145, गोपीराम पुत्र गणपतराम हि. 286/5145, गोपीराम पुत्र गणपतराम हि. 3406/25725, तोफानराम पुत्र भूराराम हि. 2858/25725, दानाराम पुत्र सांवला हि. 2858/25725, बाबूलाल पुत्र गणपतराम हि. 286/5145, भगवान सहाय पुत्र गणपतराम हि. 286/5145, मुकेश कुमार पुत्र मदनलाल हि. 17/1225, मनीषा पुत्री सरदारमल हि. 34/1225, राकेश कुमार पुत्र मदनलाल हि. 17/1225, राहुल कुमार पुत्र सरदारमल हि. 34/1225, लालचंद पुत्र मदनलाल हि. 17/1225, शैतान पुत्र सांवला हि. 2858/25725, शैतान पुत्र सांवला हि. 1882/25725, संतोष देवी पत्नी मदनलाल हि. 17/1225, सांवताराम पुत्र भूराराम हि. 3287/25725 के हिस्से खसरा नंबर 620/1 रकबा 1.2805 हैक्टेयर, 620/3 रकबा 0.5920 हैक्टेयर, 622/1 रकबा 0.6900 हैक्टेयर, 624/1 रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. गोपीराम पुत्र गणपतराम हि. 292/875, तोफानराम पुत्र भूराराम हि. 583/3500 हैक्टेयर, दानाराम पुत्र सांवला हि. 583/3500 हैक्टेयर, शैतान पुत्र सांवला 583/3500, सांवताराम पुत्र भूराराम हि. 583/3500 हैक्टेयर के हिस्से खसरा नंबर 623/1 रकबा 0.3500 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
5. इंद्रा पुत्री तोफान हि. 26/3421, कानाराम पुत्र तोफान हि. 26/3421, जगदीश पुत्र तोफान हि. 26/3421, तोफान पुत्र भूराराम हि. 650/3421, दानाराम पुत्र सांवताराम हि. 48/3421, नवरतन पुत्र तोफान हि. 26/3421, पतासी देवी पत्नी तोफान हि. 26/3421, मन्जू पुत्री तोफान हि. 26/3421, मोहनलाल पुत्र नाथूलाल हि. 2294/3421, लालचंद पुत्र तोफान हि. 26/3421, सुनीता पुत्र तोफान हि. 26/3421, सांवताराम पुत्र भूराराम हि. 221/3421 के हिस्से खसरा नंबर 626/1 रकबा 0.3421 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मुठाना जयपुर

(R) Deputy

प्रकरण संख्या - 80/2024
बउनवानी - भगवती बनाम कमला बगै0
निर्णय दिनांक :- 15.10.2025

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्दादाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्दा दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस



नियमित वाद संख्या - 80/2025

वाद प्रस्तुति दिनांक - 19.09.2024

भगवती देवी पत्नी गोपीराम जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
-वादीया

बनाम

1. कमला देवी पुत्री गणपतराम
2. गोपीराम पुत्र गणपतराम
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. रोशन पुत्र तोफानराम जति मीणा निवासी ग्राम माचडा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
4. 'महिपाल पुत्र तोफानराम जति मीणा निवासी ग्राम माचडा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
5. दानाराम पुत्र सांवला जाति मीणा निवासी ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
6. बाबूलाल पुत्र गणपतराम जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
7. भगवान सहाय पुत्र गणपतराम जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
8. मुकेश कुमार पुत्र मदन लाल जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
9. मनीषा पुत्री सरदारमल जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
10. राकेश कुमार पुत्र मदन लाल जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
11. राहुल कुमार पुत्र सरदारमल जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
12. लालचन्द पुत्र मदन लाल जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
13. शैतान पुत्र सांवला जाति मीणा निवासी ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
- 114 संतोष देवी पत्नी मदन लाल जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल कोजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
15. जगदीश दत्तक पुत्र सांवताराम जाति मीणा निवासी ग्राम माचडा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

16 सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
सहायक कलक्टर
जागरूक जयपुर
पंजीयक रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत - 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955



तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:-

1. भगवती देवी पत्नी गोपीराम जाति मीणा हिस्सा संपूर्ण के हिस्से खसरा नंबर 620/2 रकबा 0.6075 हैक्टेयर, 622/2 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 624/2 रकबा 0.0700 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.8575 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. गोपीराम पुत्र गणपतराम जाति मीणा हिस्सा संपूर्ण के हिस्से खसरा नंबर 623/2 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, 626/2 रकबा 0.1979 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5479 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. कमला देवी पुत्री गणपतराम हि. 286/5145, गोपीराम पुत्र गणपतराम हि. 286/5145, गोपीराम पुत्र गणपतराम हि. 3406/25725, तोफानराम पुत्र भूराराम हि. 2858/25725, दानाराम पुत्र सांवला हि. 2858/25725, बाबूलाल पुत्र गणपतराम हि. 286/5145, भगवान सहाय पुत्र गणपतराम हि. 286/5145, मुकेश कुमार पुत्र मदनलाल हि. 17/1225, मनीषा पुत्री सरदारमल हि. 34/1225, राकेश कुमार पुत्र मदनलाल हि. 17/1225, राहुल कुमार पुत्र सरदारमल हि. 34/1225, लालचंद पुत्र मदनलाल हि. 17/1225, शैतान पुत्र सांवला हि. 2858/25725, शैतान पुत्र सांवला हि. 1882/25725, संतोष देवी पत्नी मदनलाल हि. 17/1225, सांवताराम पुत्र भूराराम हि. 3287/25725 के हिस्से खसरा नंबर 620/1 रकबा 1.2805 हैक्टेयर, 620/3 रकबा 0.5920 हैक्टेयर, 622/1 रकबा 0.6900 हैक्टेयर, 624/1 रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. गोपीराम पुत्र गणपतराम हि. 292/875, तोफानराम पुत्र भूराराम हि. 583/3500 हैक्टेयर, दानाराम पुत्र सांवला हि. 583/3500 हैक्टेयर, शैतान पुत्र सांवला 583/3500, सांवताराम पुत्र भूराराम हि. 583/3500 हैक्टेयर के हिस्से खसरा नंबर 623/1 रकबा 0.3500 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
5. इंद्रा पुत्री तोफान हि. 26/3421, कानाराम पुत्र तोफान हि. 26/3421, जगदीश पुत्र तोफान हि. 26/3421, तोफान पुत्र भूराराम हि. 650/3421, दानाराम पुत्र सांवताराम हि. 48/3421, नवरतन पुत्र तोफान हि. 26/3421, पतासी देवी पत्नी तोफान हि. 26/3421, मन्जू पुत्री तोफान हि. 26/3421, मोहनलाल पुत्र नाथूलाल हि. 2294/3421, लालचंद पुत्र तोफान हि. 26/3421, सुनीता पुत्र तोफान हि. 26/3421, सांवताराम पुत्र भूराराम हि. 221/3421 के हिस्से खसरा नंबर 626/1 रकबा 0.3421 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

Bm
तहसीलदार
रामपुरा डाबडी

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 15.10.2025 को जारी किया।

प्रकरण संख्या - 80/2024
वउनवानी - भगवती बनाम कमला वगै०
निर्णय दिनांक :- 15.10.2025

दस्तखत—
ओहदा—



Bm
सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रूपये 2 रूपये 4 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत् इजराय हुक्मानामा मुतफरित मीजान	2 रूपये 2 रूपये 4 रूपये	—

Bm
सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

में दरम-३, हवामी (नाम) तहसीलदार राजपुरा डाकरी, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, झामेर के आदेश क्रमांक 12.4.4 दिनांक 19.09.25 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 01.10.25 समय 11:00 बजे आराजी खसरा नम्बर-620, 622-624, 626 वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का नागल सिंह पर श्री सुभाष राय तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, झामेर में विचाराधीन प्रकरण संख्या-80/2024 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 2111-2020 दिनांक 23.09.25 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	मजबली देवी	पतिन जोषीराम	63	भौजा	वादी
2.	मजीपाल	तोफाराम	21	भौजा	प्रतिवादी
3.	जगदीश	राजपुरा	45	भौजा	प्रतिवादी
4.	जोषीराम	राजपुरा	70	भौजा	प्रतिवादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

नाम	रकबा	रकबा
1. मजबली देवी पतिन जोषीराम जाति भौजा	620/2	0.6075
दिल्ला लम्पुर्ण	622/2	0.1800
	624/2	0.0700
कुल रकबा	03	0.8575 ई०

1. जोषीराम पुत्र राजपुरा जाति भौजा	625/2	0.3500
दिल्ला लम्पुर्ण	626/2	0.1979
कुल रकबा	02	0.5479 ई०

24.10.25
01-10-25

01-10-25

Contd... 2

कार्यकार का नाम

क्र.नं

रकबा

1. कञ्जलोदरी पुत्री जगपतराम हिं 286/5145
2. जोषीराम पुत्र जगपतराम हिं 286/5145
3. जोषीराम पुत्र जगपतराम हिं 3402/25725
4. लोकानराम पुत्र शूराय हिं 2858/25725
5. यानाराम पुत्र लावला हिं — " —
6. लोबूलाल पुत्र जगपतराम हिं 286/5145
7. प्रजवान लदाय पुत्र जगपतराम हिं — " —
8. मुकेश कुमार पुत्र मदनलाल हिं 17/1225
9. मनीषा पुत्री लक्षाराम हिं 34/1225
10. रविश कुमार पुत्र मदनलाल हिं 17/1225
11. राहुल कुमार पुत्र लक्षाराम हिं 34/1225
12. लालचन्द्र पुत्र मदनलाल हिं 17/1225
13. शैलज पुत्र सांकला हिं 2858/25725
14. शैलज पुत्र सांकला हिं 1882/25725
15. संतोष देवी पति मदनलाल हिं 17/1225
16. सांवताराम पुत्र शूराय हिं 3287/25725

620/1

1.2805

620/3

0.5920

622

0.6900

624

0.0100

क्रि.नं-03 रकबा 2.5725 हे.

1. जोषीराम पुत्र जगपतराम हिं 292/875
2. लोकानराम पुत्र शूराय हिं 583/3500
3. यानाराम पुत्र लावला — " —
4. शैलज पुत्र सांकला — " —
5. सांवताराम पुत्र शूराय — " —

623

0.3500

क्रि.नं-01 रकबा 0.3500 हे.

1. इन्डा पुत्री लोकान हिं 26/3421
2. यागाराम पुत्र — " —
3. जगदीश — " —
4. लोकान पुत्र शूराय हिं 150/3421
5. यागाराम पुत्र सांवताराम हिं 48/3421
6. नवलज पुत्र लोकान हिं 26/3421
7. पतासी देवी पति लोकान — " —
8. मन्शु पुत्री — " —
9. मोहनलाल पुत्र नाथूलाल हिं 2294/3421
10. लीलचन्द्र पुत्र लोकान हिं 26/3421
11. सुनीता पुत्री — " —
12. सांवताराम पुत्र शूराय हिं 221/3421

क्र.नं

रकबा

626

0.3421 हे.


कुल क्रि.नं-01 रकबा 0.3421 हे.

24/10/25

01.10.25

मा. न्यायलय A.C.M. कोर्ट के
काद न. 80/2024

ग्राम - राजावाक
तहसील रामपुरा इंडिया
पैमाना - 1 फी.मी. = 10 मी



→ गोपीराम पुत्र जगपतराम

C.S.
72

तहसीलदार

रामपुरा इंडिया जिला, जयपुर

~~DR - रजिस्ट्रार कल~~
01/10/25



→ भगवती देवी पत्नि गोपीराम



- ① कमला पुत्री जगपतराम ② गोपीराम पुत्र जगपतराम
→ ③ लोफानराम सावताराम पिठ भूराराम
④ यानाराम शैलन पिठ सांवला
⑤ काञ्जलाल भगवान लक्ष्म पिठ जगपतराम
⑥ मुकेश रोडेश लालचन्द्र पिठ मदनलाल
⑦ संतोष देवी पत्नि मदनलाल
⑧ राहुल पुत्र सरदारमल जमीया पुत्री सरदारमल



- ① गोपीराम पुत्र जगपतराम
② लोफानराम पुत्र भूराराम
③ यानाराम पुत्र सांवला
④ शैलन पुत्र सांवला ⑤ सावताराम पुत्र भूराराम



- ① इन्डा मन्जू कुनिता पुत्रियाक लोफान
④ यानाराम जगदीश नवरत्न लालचन्द्र पिठ लोफान
③ पलासी पत्नि लोफान ⑥ मोहनलाल पुत्र नाथूलाल
⑦ लोफान पुत्र भूराराम
⑧ यानाराम पुत्र सावताराम ⑨ सावताराम पुत्र भूराराम

प.स. नागल मल
01.10.25